

कार्यालय, अंचल अधिकारी, बरकड़ा, हजारीबाग।

आदेश पत्रक

वाद संख्या : 105 / 2020-21 2017
लेख्य प्रकार- अचल जमाबंदी


3.11.20

अभिलेख का सधारण E-Court (Revenue) में लबित वाद के विरुद्ध किया गया। उपरोक्त वाद से संबंधित अभिलेख का सधारण वर्ष 2016-17 में किया गया था। कार्यालय के नये भवन में हस्तांतरण के क्रम में अभिलेखक अन्यत्र रख दिये जाने एवं नहीं मिलने के कारण पुनः सृजन किया गया। अपर समाहर्ता, हजारीबाग के पत्रांक-1389/रा0 दिनांक 24.06.2016 के आलोक एवं निर्देशन भू-अर्जन सह विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं0-03-खा0न0 नोति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0-914/रा0 दिनांक 19.12.1998 में निहित अनुदेश/निर्देश के अनुपालन में गै0 न0 खास भूमि के विरुद्ध कायन की गई जनाबंदीयों को जाँच के क्रम में राजस्व उप नि0 एवं अचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नवत् गै0 न0 खास भूमि की जनाबंदी कायन है।

गाम	खाता	खेसरा	रकबा	जनाबंदीदार	पंजी-2 का पृ0सं0/भाग
कोमलपुर	01	150/158	0.66 $\frac{2}{3}$	रैयत का नाम उद्युक्त मिश्रा वसंत मिश्रा	265/5

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने उपरोक्त वर्णित जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए प्रतिवेदन दिया है।


अतः संबंधित को संधारित जमाबंदी के विरुद्ध राजस्व दस्तावेज उपस्थापित करने हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 23.11.20 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी
बरकड़ा

23/11/2020

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तानिला प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड के पत्रांक-04/स0भू0 (दिशा-निर्देश)-95/2016-2074, दिनांक-13.05.16 के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में जाँच की गई। जमाबंदीदार रैयतों द्वारा संदेहात्मक जमाबंदी के विरुद्ध भूतपूर्व जमींदार के द्वारा 01.01.1946 से पूर्व का हुकुमनामा, वर्ष 1955-56 से लगायत रसीद, भूतपूर्व जमींदार का Form-M एवं सरकारी स्तर पर किये गये बंदोबस्ती संबंधी किसी प्रकार का दस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।

अतः बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) में विहित प्रावधानुसार जमाबंदी सं0 265/दिनांक उद्युक्त मिश्रा मिश्रा को संदेहात्मक मानते हुए रद्द करने की मंगलिका की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरहौ को भेजें।



अंचल अधिकारी
बरकड़ा

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संग्रही जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम - इसुफ बिर्भा बिर्भा बिर्भा बिर्भा
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :- ख. 2912

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>कौन्हाखुर्द</u>	<u>99</u>	<u>1</u>	<u>—</u>	<u>0.66 $\frac{2}{3}$</u>
3. जमाबंदी पंजी-11 के जिल्ला संख्या.../..... पृष्ठ सं०-265 पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 1992-83
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खतौदार का नाम - ख. 2912
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है - आदेश दर्ज नहीं है
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नानान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम _____
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूयंदावरी) _____
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (मूलभूत जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोवस्तों पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी II
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद मर्यादा एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद मर्यादा	रसीद निर्माण तिथि	वसूली वर्ष
	<u>310/89</u>	<u>25.2.93</u>	<u>1993-94</u>


23/11/20

अधिकांश अवैध जमाबन्दी से संबंधित अंचल स्तर पर भया जाने वाला

चेक लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - जुवागा, 4270161
2. क) अवैध जमाबन्दीदार का नाम- इस्युड बिचर कि. वसीव बिचर
 ख) अवैध जमाबन्दी की भूमि की विवरणी-

पंजी	धाना सं०	खारा सं०	खसरा सं०	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7
<u>किन्हावास्ट</u>	<u>99</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>0.66 2/3</u>		

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप- 427
4. अवैध जमाबन्दी पंजी II में कब से संधारित है- 1982-83
5. उक्त जमाबन्दी पंजी II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम- आदेश दर्ज नहीं है
 (पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मी का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें।)
6. नानान्तरण/दाखिल --खारिज उपरान्त संधारित जमाबन्दी के मामलों में मूल जमाबन्दी रैयत की विवरणी-
7. अवैध जमाबन्दी कायम किये जाने का आधार
 - i) अनिबंधित सादा हुकुमनामा ✗
 - ii) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद सं० एवं पारित आदेशानुसार) ✗
 - iii) अवैध भू-बन्दोवस्ती (वाद सं० के साथ) ✗
8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथाकथित सादत पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये कम या इससे अधिक) ✗
9. अवैध जमाबन्दी की जांच किस राजस्व अभिलेख से की गई है:-
 - i) भूत पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से ✗
 - ii) अंचल /अनुमंडल में संधारित बन्दोवस्ती पंजी से ✗
 - iii) दाखिल-खारिज/भू-हस्तांतरण/नानांतरण पंजी से ✗
10. क) अवैध जमाबन्दी क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम है? ✗
11. क्या दिनांक दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? ✗
12. वर्ष 1954-55 में हुए फिक्स्ड युझरत पंजी में देखल कबजा अवैध जमाबन्दीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? ✗
13. राजस्व कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुरासत सहित- राजिगीरदार के द्वारा भूबन्दी
14. अंचल निरीक्षक का स्थलाध्य जांचमरान्त मरामत सहित, स्पष्ट प्रतिवेदन - एक जमींदारी के रसम पंजी
को जो मांग करी के वही रसम पंजी मंगल के रूप में देया है।
वर्ष 85 जमाबन्दी फिक्स्ड किम W. बरामत

अंचल अंचल भूमि सुधार उपसमाहता अनुमंडल पदा० अपर समाहता जमाबन्दी

अंचल

अंचल